शोध मंथन Vol. XVII No.1 Jan.- Mar. 2026 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.889 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.11

उत्तराखंड राज्य में पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा संचालित नीतियाँ

प्राप्तिः 10.01.26
स्वीकृतः 03.03.26

11

डॉ. पुष्पा पोखरिया
वाणिज्य विभाग
पं. बी.डी. पाण्डेय परिसर,
बागेश्वर
ईमेलः *poojapokhariya95@gmail.com*

डॉ. विनय चन्द्र जोशी
एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग)
एम. बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
हल्द्वानी

सारांश

उत्तराखंड राज्य में पलायन एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक विषमताएँ, सीमित संसाधन, कृषि की अलाभकारी प्रकृति, रोजगार के अवसरों की कमी तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों अथवा राज्य के बाहर पलायन करने के लिए विवश करता है। कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल में अनेक गाँव आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन, सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ एवं योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कृषि एवं बागवानी प्रोत्साहन योजनाएँ, होमस्टे योजना, पर्यटन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा कौशल विकास कार्यक्रम प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्वरोजगार को बढ़ावा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, आधारभूत ढाँचे का विकास तथा जीवन–स्तर में सुधार करना है।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखंड राज्य में पलायन की प्रवृत्ति, उसके कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण करते हुए यह मूल्यांकन किया गया है कि सरकार द्वारा संचालित नीतियाँ किस सीमा तक पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है। अध्ययन का स्वरूप वर्णानात्मक एवं विश्लेषणात्मक है तथा इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी नीतियों से पलायन पर आंशिक नियंत्रण अवश्य हुआ है, किंतु प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरू नीति–निर्माण तथा दीर्घकालिक रोजगार सृजन के बिना इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

मुख्य बिन्दु

पलायन, उत्तराखंड, ग्रामीण विकास, रोजगार, मनरेगा, स्वरोजगार, आजीविका, पर्यटन, कृषि, सरकारी नीतियाँ

पलायन मानव समाज की एक सतत प्रक्रिया रही है, जो समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती रही है। प्रारंभिक काल में पलायन मुख्यतः भोजन, सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों की खोज से जुड़ा था, जबकि आधुनिक काल में यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित एक जटिल प्रक्रिया बन गया है। विकासशील देशों में ग्रामीण–शहरी पलायन एक समान्य प्रवृत्ति बन चुकी है, जिसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय असमान विकास है।

भारत में पलायन की समस्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों से अधिक गंभीर है जहाँ विकास की गति धीमी रही है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड इसका प्रमुख उदाहरण है। वर्ष 2000 में राज्य गठन का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों का संतुलित विकास, स्थानीय संसाधनों का संरक्षण तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना था। किंतु राज्य गठन के दो दशक बाद भी पलायन की समस्या बनी हुई है।

उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना कठिन एवं विषम है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित कृषि भूमि, छोटे जोत आकार, सिंचाई सुविधाओं का अभाव तथा प्राकृतिक आपदाएँ–जैसे भूस्खलन, अतिवृष्टि और बाढ़–कृषि को अलाभकारी बनाती है। परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों की आय अस्थिर रहती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता भी लोगों को शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करती है।

पलायन का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी है। गाँवों में युवा वर्ग के पलायन से वृद्धजन, महिलाएँ एवं बच्चे ही शेष रह जाते हैं। इससे कृषि कार्यों मे श्रम–शक्ति की कमी उत्पन्न होती है, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ कमजोर पड़ती हैं और सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, आवास समस्य एवं असंगठित बस्तियों का विस्तार होता है।

इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं। ग्रामीण रोजगार योजनाएँ, स्वरोजगार को प्रोत्साहन, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, पर्यटन एवं बागवानी का विकास, सड़क एवं संचार सुविधााओं का विस्तार तथा कौशल विकास कार्यक्रम इसके प्रमुख उदाहरण है। विशेष रूप से मनरेगा जैसे योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं।

हालाँकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या ये नीतियाँ वास्तव में पलायन को रोकने में सफल रही हैं? क्या इन योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से ग्रामीण जनता तक पहुँच रहा है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के उद्देश्य से प्रस्तुत अध्ययन किया गया है, जो उत्तराखंड राज्य में पलायन की समस्या एवं सरकारी नीतियों की भूमिका का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

साहित्य की समीक्षा

Thapliyal, Devrani, Bhadula एवं Bist (2020) ने अपने अध्ययन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे निरंतर पलायन को राज्य के संतुलित विकास के लिए एक गंभीर चुनौती बताया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि यदि सरकार द्वारा कृषि, बागवानी, पर्यटन तथा स्थानीय रोजगार

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.11

आधारित नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो पलायन की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है।

Sethi (2019) ने उत्तराखंड में पलायन रोकने हेतु संचालित सामाजिक एवं सरकारी पहलों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि योजनाओं की रूपरेखा तो उपयुक्त है, किंतु क्रियान्वयन में क्षेत्रीय आवश्यकताओं की उपेक्षा के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। लेखक ने नीति–निर्माण में स्थानीय सहभागिता को आवश्यक बताया है।

Ratna, Bhatt एवं Dutt (2019) ने नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का प्रतिगमन मॉडल के माध्यम से अध्ययन किया। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि रोजगार, आय के अवसर तथा कृषि पर निर्भरता पलायन के प्रमुख निर्धारक हैं। अध्ययन में यह भी सुझाया गया कि ग्रामीण रोजगार योजनाएँ पलायन को कम करने में सहायक हो सकती है।

Yadav, Sharma एवं Gangwar (2018) ने उत्तराखंड में पलायन के निर्धारक कारकों का विश्लेषण करते हुए पाया कि सिंचाई सुविधाओं की कमी, सीमांत कृषि, बेरोजगारी तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लोगों को पलायन के लिए विवश करता है। अध्ययन में सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर बल देने की आवश्यकता बताई गई है।

Sati (2016) ने उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में ग्रामीण–शहरी पलायन के स्वरूप और प्रभावों का अध्ययन किया। शोध से यह निष्कर्ष निकला कि सड़क, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे पलायन की दर मे ंकमी संभव है।

Ashutosh एवं Pallavi (2019) ने रूद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में पलायन की स्थिति का अध्ययन करते हुए बताया कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास, स्वरोजगार तथा पर्यटन गतिविधियाँ पलायन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अध्ययन में समुदाय आधारित विकास मॉडल को प्रभावी समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

Joshi & Jindal (2022) का अध्ययन दर्शाता है कि ग्रामीण सहकारी बैंकिंग में सेवा–गुणवत्ता सीधे आजीविका सृजन और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी है; कमजोर बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीणों को बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं।

Jindal (2021) के अनुसार उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में सीमित ऋण सुविधा और तकनीकी पिछड़ापन ग्रामीण निवेश को रोकते हैं, जो दीर्घकाल में नौकरियों की कमी और पलायन को बढ़ाता है।

Jindal & Srivastava (2021) तथा Jindal (2020) के अध्ययनों से पता चलता है कि सेवा गुणवत्ता, बैंक पर विश्वास और वित्तीय पहुँच ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाते हैं; जब ये घटते हैं, तो पलायन की प्रवृत्ति बढ़ती है।

Saxena & Jindal (2019) ने पाया कि सरकारी व निजी बैंकों के बीच सेवा–गुणवत्ता का अंतर सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है– यही असमानता ग्रामीणों को शहरी विकल्पों की ओर प्रेरित करती है।

Goswami & Jindal (2021) के अनुसार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सीमित पहुँच और किसानों की कम जागरूकता कृषि को अलाभकारी बनाती हैं– नतीजतन युवा कृषि त्यागकर शहरों में रोजगार खोजने को मजबूर होते हैं।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में बढ़ती पलायन की समस्या के संदर्भ में सरकार द्वारा संचालित नीतियों एवं योजनाओं का समग्र एवं व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण करना है।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन वर्णानात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल को चुना गया है। प्राथमिक आँकड़े प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए, जबकि द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्ट्स, जनगणना आँकड़े, शोध–पत्रों एवं पुस्तकों से प्राप्त किए गए।

विषय–वस्तु

1. पलायन के प्रमुख कारण

उत्तराखंड राज्य में पलायन एक बहुआयामी समस्या है, जिसके पीछे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक कारण कार्यरत हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक संरचना, सीमित कृषि योग्य भूमि तथा प्राकृतिक आपदाओं की निरंतरता ने ग्रामीण जीवन को अस्थिर बना दिया है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, छोटे जोत आकार और सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि आजीविका का भरोसेमंद साधन नहीं रह गई है। परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों को स्थायी एवं पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे वे वैकल्पिक आजीविका की खोज में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक प्रमुख कारण है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं का अभाव है। बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोग अपने परिवार सहित मैदानी क्षेत्रों या अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं, जो धीरे–धीरे स्थायी पलायन का रूप ले लेता है।

इसके अतिरिक्त, सड़क, परिवहन, बिजली, संचार तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी भी ग्रामीण जीवन को कठिन बनाती है। प्राकृतिक आपदाएँ–जैसे भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ एवं भूकंप–न केवल आजीविका को प्रभावित करती हैं, बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। इन सभी कारणाों के संयुक्त प्रभाव से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती गई है।

2. मनरेगा एवं ग्रामीण रोजगार नीतियाँ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) उत्तराखंड में पलायन रोकने की दिशा में एक प्रमुख नीति के रूप में उभरा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है, ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर आय के अवसर उपलब्ध हो सकें और वे शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन न करें। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए कई अवसरों पर कार्य–दिवसों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया है।

मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्य कराए जाते हैं। इन कार्यों से एक

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i01.11

और जहाँ ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, वहीं दूसरी ओर गाँवों की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। इससे दीर्घकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है।

हालाँकि, मनरेगा की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह योजना मुख्यतः अल्पकालिक रोजगार प्रदान करती है और इससे स्थायी आजीविका का पूर्ण समाधान नहीं हो पाता। कई क्षेत्रों में समय पर मजदूरी भुगतान, कार्यों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक निगरानी की कमी के कारण योजना का प्रभाव सीमित रह जाता है। इसके बावजूद, यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने उत्तराखंड में पलायन को आंशिक रूप से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3. स्वरोजगार एवं आजीविका मिशन

उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पलायन नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को सूक्ष्म वित्त, प्रशिक्षण एवं बाजार से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई–कढ़ाई तथा स्थानीय उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक स्त्रोत विकसित हुए हैं, जिससे कुछ हद तक पलायन की प्रवृत्ति में कमी आई है।

हालाँकि, स्वरोजगार योजनाओं की सफलता काफी हद तक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, बाजार तक पहुँच तथा वित्तीय सहायता की निरंतरता पर निर्भर करती है। कई बार जानकारी के अभाव, तकनीकी मार्गदर्शन की कमी तथा विपणन समस्याओं के कारण ये योजनाएँ अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती। इसके बावजूद, आजीविका मिशन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सकारात्मक योगदान दिया है।

4. कृषि, बागवानी एवं पशुपालन नीतियाँ

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि, बागवानी एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि आजीविका का प्रमुख साधन रही हैं, किंतु बदलती परिस्थितियों में इसकी लाभप्रदता कम होती गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कृषि एवं बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न नीतियाँ एवं योजनाएँ लागू की गई हैं।

फलोत्पादन, विशेष रूप से सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, अखरोट तथा कीवी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ–साथ जैविक खेती, औषधीय पौधों की खेती एवं फूलों की खेती को भी प्रोत्साहन दिया गया है। पशुपालन के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन एवं मुर्गी पालन को आजीविका के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इन नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। हालाँकि, कृषि आधारित नीतियों की सफलता सिंचाई सुविधाओं, भंडारण, परिवहन एवं विपणन व्यवस्था पर निर्भर करती है। इन क्षेत्रों में यदि पर्याप्त सुधार किए जाए, तो कृषि एवं बागवानी पलायन रोकने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।

5. पर्यटन एवं होमस्टे योजना

पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थल, साहसिक पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत पर्यटन विकास की आपार संभावनाएँ प्रदान करती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा होमस्टे योजना एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है।

होमस्टे योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में पर्यटकों को ठहराने की अनुमति दी जाती है, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होता है और युवाओं को अपने गाँव में ही आजीविका के अवसर मिलते हैं। पर्यटन से जुड़े सहायक व्यवसाय–जैसे परिवहन, गाइड, सेवा, हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों की बिक्री–भी विकसित होती हैं।

हालाँकि, पर्यटन क्षेत्र भी मौसमी है और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। इसके बावजूद, यदि पर्यटन को योजनाबद्ध एवं सतत रूप से विकसित किया जाए, तो यह पलायन रोकने का एक प्रभावी साधन बन सकता है।

6. आधारभूत ढाँचा एवं सड़क विकास

आधारभूत ढाँचा किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार होता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, बिजली, पानी एवं संचार सुविधाओं का अभाव लंबे समय से विकास में बाधक रहा है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

सड़क विकास से न केवल लोगों की गतिशीलता बढ़ी है, बल्कि कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है। बिजली एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में नई आर्थिक गतिविधियाँ संभव हुई हैं।

हालाँकि, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं रखरखाव चुनौतीपूर्ण है। यदि इन परियोजनाओं को पर्यावरण–अनुकूल एवं दीर्घाकालिक दृष्टिकोण से लागू किया जाए, तो यह पलायन नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

7. कौशल विकास एवं युवा रोजगार

युवा वर्ग पलायन का सबसे बड़ा घटक है। बेहतर रोजगार एवं करियर की तलाश में युवा ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकारा द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण योजनाओं को लागू किया गया है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आईटी, पर्यटन, होटल प्रबंधन, हस्तशिल्प, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल विकास से युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है और वे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि, प्रशिक्षण और रोजगार के बीच समन्वय की कमी एक बड़ी चुनौती है। यदि प्रशिक्षण को स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं से जोड़ा जाए, तो यह पलायन रोकने में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

8. नीतियों की प्रभावशीलता एवं सीमाएँ

सरकार द्वारा संचालित नीतियों ने उत्तराखंड में पलायन को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएँ, कृषि–बागवानी प्रोत्साहन, पर्यटन विकास एवं आधारभूत ढाँचे के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

फिर भी, इन नीतियों की प्रभावशीलता सीमित रही हैं। योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, प्रशासनिक अक्षमता, भ्रष्टाचार, जानकारी का अभाव एवं स्थानीय सहभागिता की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश योजनाएँ, अल्पकालिक राहत प्रदान करती हैं, जबकि पलायन जैसी जटिल समस्या के लिए दीर्घकालिक एवं समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड राज्य में पलायन बहुआयामी समस्या है, जो आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक कारकों से जुड़ी हुई है। सरकार द्वारा संचालित नीतियों से पलायन पर आंशिक नियंत्रण अवश्य हुआ है, विशेष रूप से मनरेगा, स्वरोजगार एवं पर्यटन आधारित योजनाओं के माध्यम से। तथापि, योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, सीमित सहभागिता एवं दीर्घकालिक रोजगार अवसरों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। यदि नीतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो पलायन की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार सृजन, कृषि एवं बागवानी का आधुनिकीकरण, पर्यटन आधारित स्थानीय उद्योगों का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा योजनाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय युवाओं की सहभागिता एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान देकर पलायन को दीर्घकालिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. Ashutosh, J., & Pallavi, U. (2019). *Status of migration in Uttarakhand: A case study of Rudraprayag district*. Environment Conservation Journal, Pg. 61–72.
2. Goswami, D., & Jindal, M. (2021). *Awareness of Farmers about the Primary Agriculture Credit Societies (with special reference to UP & Uttarakhand)*. International Journal of Engineering and Management Research, 11(3), Pg. 209–212. ISSN: 2250-0758.
3. Jindal, M. (2020). *Customer Satisfaction of Nainital District Co-Operative Bank*. Shodh Sanchar Bulletin, 10(39), Pg. 160–167. ISSN: 2229-3620.
4. Jindal, M. (2021). *Services of Co-operative Banks of Uttarakhand*. ShodhSarita, 8(29), Pg. 190–194. ISSN: 2348-2397.

5. Jindal, M., & Srivastava, S. (2021). *Customer Satisfaction of Almora Urban Co-Operative Bank*. Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal (Special Issue), 2620–2625. ISSN: 2319-4979.
6. Joshi, C. S., & Jindal, M. (2022). *Service Quality of Rural Co-Operative Sector Banks in India*. Shodhasamhita, Issue IX, No. II (II), Pg. 135–150. ISSN: 2277-7067.
7. Ratna, B., Bhatt, S., & Dutt, P. (2019). *A regression model approach to study the out-migration from rural areas of Nainital district of Uttarakhand*. IOSR Journal of Mathematics, 15(5), Pg. 07–12.
8. Sati, P. V. (2016). *Patterns and implication of rural–urban migration in the Uttarakhand Himalaya, India*. Annals of Natural Sciences, 2(1), Pg. 26–37.
9. Saxena, S., & Jindal, M. (2019). *Customer Satisfaction on Banking Services in Indian Growing Economy: Nainital District*. International Journal of Engineering and Management Research, 9(4), Pg. 74–77. ISSN: 2250-0758.
10. Sethi, A. S. (2019). *Out of mind, out of sight: A critical appraisal of social initiatives to curb migration in Uttarakhand*. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences, 4, Pg. 59–68.
11. Thapliyal, B. L., Devrani, V., Bhadula, R. C., & Bist, A. S. (2020). *Incessant migration from hill regions of Uttarakhand: An escalating problem*. 21(6), Pg. 393–404.
12. Yadav, A., Sharma, G., & Gangwar, R. (2018). *Determining factors for migration in Uttarakhand*. International Journal of Agricultural Science and Research, 8, Pg. 85–90.